

29-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27 को पेश हो।

9-7-21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित उभय पक्षों ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 16-7-21 को पेश हो।

16-7-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राज न्याय कार्य से लक्षित। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27 को पेश हो।

27-7-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुदुआ की। जबकि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तुदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया जिससे जाहिर आया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

स्वीकार है  
232  
परेखा (सख)

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

जाता है। बिरुय प्रपक से लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रायली फँसल  
सुमार होकर बरतर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सकसैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 116/20 प्रा.पत्र

1- श्री जगदीश शं. श्री गोपीलाल कलाल निवासी- लुहारिया तगावज

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री नाने शं. शं. थाकूर शं. मुसलमान निवासी- लुहारिया तगावज [कौरा]  
(सिद्धांत प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 27-07-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3426/2337 कुल कित. 01 रकबा 01 बीघा - बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-07-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3426/2337 कुल कित. 01 रकबा 01 बीघा - बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा